



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : ५०नि०/II/1012

दिनांक : 21.08.2026

सेवा में,

1. प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
2. विभागाध्यक्ष/समन्वयक,
समस्त विभाग विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।

विषय :- रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

उत्तर-प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-4 के पत्र 19.08.2026 के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त निर्देशों के आलोक में विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 में समस्त स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं में से टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय/विभाग से सम्बन्धित छात्राओं की सूचना संलग्न प्रारूप के अनुसार माईक्रोसोफ्ट एक्सल फॉर्मेट पर ई-मेल आई-डी examcontroller@ccsuniversity.ac.in पर एवं समस्त अभिलेखों की सत्यापित प्रति परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में दिनांक 22.08.2026 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विभाग/महाविद्यालयवार प्रथम दृष्ट्या अर्ह छात्राओं की सूची प्रत्येक कॉलेज/विभाग के लॉगिन (<https://ccsuniversityweb.in/>) पर प्रेषित की जा चुकी है।

ऐसी छात्रायें जो मूल रूप से उत्तर-प्रदेश की निवासी नहीं हैं तथा जिनके परिवार की आय रुपये 12 लाख से अधिक है इस योजना हेतु पात्र नहीं हैं। अतः प्रेषित सूची में यदि किसी अपात्र छात्रा का नाम अंकित है तो उसकी सूचना तत्काल विश्वविद्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है।

स्कूटी योजना हेतु छात्राओं के अन्तिम चयन का निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा।

संलग्नक : 1. उपर्युक्त शासनादेश।

2. प्रारूप जिसके अनुसार सूचना प्रेषित करनी है।

AB
21/08
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :-

- 1- वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
- 2- वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
- 3- प्रभारी वेबसाइट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप-कुलसचिव

संख्या-64/2026/563/सत्तर-4-2026-70-4002(001)/2/2025

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4लखनऊ: दिनांक: 19 अगस्त, 2026

विषय:-'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महिला सशक्तीकरण के दृष्टिगत छात्राओं की ड्राप-आउट दर को कम करने, उच्च शिक्षा में छात्राओं के अवधारण (Retention) में सुधार करने, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं तक छात्राओं की पहुंच और गतिशीलता सुनिश्चित करने, सकल नामांकन अनुपात (GER) को बढ़ाने और छात्राओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने तथा उनमें आत्मविश्वास व स्वतंत्रता की भावना का विकास किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' का क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' के अंतर्गत स्कूटी के वितरण हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा:-

1. प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित राज्य विश्वविद्यालयों तथा निजी विश्वविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों व स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं योजना से आच्छादित होंगी।
2. शैक्षणिक सत्र 2025-26 में समस्त स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं में से टॉप 5 प्रतिशत छात्राएं, जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हों, योजना से आच्छादित होंगी। इसके अतिरिक्त सामान्य मेधावी छात्राओं के लिए निर्धारित मेरिट से 10 प्रतिशत कम अंको वाली शहीद परिवारों की मेधावी छात्राएं तथा दिव्यांग छात्राएं एवं निराश्रित छात्राएं इस योजना के लिए अर्ह मानी जायेंगी। दिव्यांग छात्राओं के लिए स्कूटी के साथ रेट्रोफिटेटेड स्टेबलाइजर किट भी उपलब्ध करायी जाएगी। (शहीद परिवारों, दिव्यांग छात्राओं एवं निराश्रित छात्राओं की परिभाषा संलग्नक-1 के रूप में संलग्न)

3. ऐसे पाठ्यक्रमों जिसमें सीजीपीए की व्यवस्था लागू है, में स्नातक में प्राप्त सीजीपीए को सम्बंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा।
4. ऐसी छात्राएं, जिनके परिवार की आय रु0 12.00 लाख तक हो, को इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा।
5. राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय/अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में पंजीकृत छात्राओं, जिनके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण किया गया है, की पात्रता सूची सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक द्वारा अपने संयुक्त हस्ताक्षर से सूची को पोर्टल पर लाभार्थीवार अलग-अलग ई-हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित किया जाएगा।
6. पोर्टल लाइव की तिथि से एक सप्ताह में पात्रता के अनुसार पात्र लाभार्थियों की सूची विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित जिलाधिकारी तथा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पोर्टल पर फॉरवर्ड की जायेगी।
7. पोर्टल पर जनपदवार सम्बंधित जिलाधिकारी को पात्र लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा कराया जाएगा और सत्यापन के उपरान्त पोर्टल पर ही चयनित वेंडर के माध्यम से छात्राओं को स्कूटी का आवंटन भी जिलाधिकारी द्वारा कराया जाएगा।
8. वितरण के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा छात्राओं से स्कूटी की प्राप्ति का प्रमाण प्राप्त कर उसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
9. वेंडर द्वारा प्रत्येक जिले में सर्विस सेंटर बनाया जाएगा और एक शिकायत निवारण पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, जिसमें संबंधित जिलाधिकारी एवं निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के लिए डैशबोर्ड और छात्राओं के लिए शिकायत पंजीकृत करने की व्यवस्था होगी।
10. छात्रा द्वारा उक्त आवंटित स्कूटी का किसी भी दशा में विक्रय नहीं किया जाएगा।
11. वितरण हेतु चयनित स्कूटी की ब्रांडिंग के संबंध में पृथक से दिशा-निर्देश एवं डिजाइन उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे स्कूटी पर अंकित किया जाना वेंडर के लिये अनिवार्य होगा।
12. दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेट्रोल चालित स्कूटी के लिए पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा सर्विस सेंटर तथा पेट्रोल ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता के दृष्टिगत स्कूटी का फ्यूल टाईप (ईंधन) पेट्रोल होगा तथा स्कूटी का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा किया जाएगा।
13. स्कूटी के पैकेज के अंतर्गत स्कूटी के साथ-साथ पंजीकरण शुल्क, व्यापक वाहन बीमा, एक ISI मार्का हेलमेट तथा 04 लीटर पेट्रोल सम्मिलित होगा। पैकेज में पूर्ण एक्सेसरीज भी सम्मिलित होंगी।
14. योजना के अंतर्गत स्कूटी के वितरण हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा एन0आई0सी0 के माध्यम से एक पोर्टल विकसित किया जाएगा।

3- प्रत्येक जनपद में समारोह के माध्यम से स्कूटी का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में पृथक से दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगे। समारोह के आयोजन हेतु प्रत्येक जिले को धनराशि का आवंटन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष संबंधित जिलाधिकारी को किया जाएगा।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' के क्रियान्वयन के संबंध में उपर्युक्त दिशा-निर्देशों तथा शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
MAHENDRA PRASAD AGRAWAL
Date: 19-08-2026 17:08:51

(एमपीओ अग्रवाल)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ।
- 7- निदेशक, राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
- 8- निदेशक, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 11-निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 12-परीक्षा नियंत्रक, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 13-समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 14-समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 15- गार्ड फाइल।

Digitally signed by
SARVESH KUMAR SINGH
Date: 19-08-2026
17:42:22

(सर्वेश कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-64/2026/563/सत्तर-4-2026-70-4002(001)/2/2025, दिनांक 19 अगस्त, 2026 का संलग्नक-1

शहीद परिवारों, दिव्यांग छात्राओं एवं निराश्रित छात्राओं की पात्रता का निर्धारण करते समय निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा जायेगा :-

1. सशस्त्र सेना के तीनों सेनाओं (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) और अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में लिये जाने विषयक सैनिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 19 मार्च, 2018 में शहीद सैनिकों को निम्नवत परिभाषित किया गया है:-

परिभाषाएँ-

(क) शहीद (Battle Casualty) सैनिकों का तात्पर्य

सशस्त्र बल के तीनों सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों के कार्यकलाप के संबंध में सेवायोजित स्थायी/अस्थायी रूप से नियुक्त/कमीशनड आफिसर/सैनिक जो कर्तव्य पालन के दौरान देश की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, गोलाबारी, बैटल एक्सीडेंट, सीमा पर छुट-पुट/आतंकवादी घटनाओं तथा अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, प्राकृतिक आपदा एवं वाहन दुर्घटना के दौरान शहीद हुए हैं।

अथवा

(ख) कर्तव्य पालन के दौरान बिन्दु (क) पर वर्णित घटनाओं के समय ऐसे लापता शहीद जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा मृत घोषित किया गया हो।

(ग) शहीद के आश्रितों के अन्तर्गत वरीयता क्रम में

शहीद सैनिक के विवाहित होने की स्थिति में शहीद सैनिक की पत्नी, विधवा पुत्रवधू, अविवाहित पुत्रियाँ, कानून संगत दत्तक पुत्रियाँ, माता आश्रित की श्रेणी में मानी जायेगी परन्तु उक्त आश्रितों के शारीरिक/मानसिक अनुपयुक्तता की स्थिति में आश्रित अविवाहित पौत्रियाँ आश्रित की श्रेणी में मानी जायेगी।

शहीद सैनिक के अविवाहित होने की स्थिति में शहीद सैनिक की माता, अविवाहित बहन आश्रित की श्रेणी में मानी जायेगी।

2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-2 द्वारा निर्गत निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने की नियमावली, 2020 दिनांक 22 जनवरी, 2020 में पात्र "दिव्यांगजन" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भाँति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो, संबंधित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो।
3. निराश्रित छात्राओं से तात्पर्य ऐसी छात्राओं से होगा जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो तथा परिवार में भरण-पोषण करने वाला कोई अन्य सदस्य न हो।

Digitally signed by
RAM JANAM CHAUHAN
Date: 19-08-2026
18:04:33

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का नाम एवं AISHE कोड	छात्रा का नाम	पिता/माता का नाम	श्रेणी (दिव्यांग/शहीद परिवार/निराश्रित)	पाठ्यक्रम का नाम	एनरोलमेंट नं० एवं रोल नं०	प्राप्तांक प्रतिशत	अपार आई-डी	DOMICILE Application No.	DOMICILE ID	INCOME CERTIFICATE Application No.	INCOME CERTIFICATE ID	क्या छात्रा 3090 की मूल निवासी है हाँ/नहीं	क्या छात्रा की परिवार की आय 12 लाख अथवा कम है हाँ/नहीं
----------	----------------------	----------------------------------	---------------	------------------	---	------------------	---------------------------	--------------------	------------	--------------------------	-------------	------------------------------------	-----------------------	---	---